

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सं. 65/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1149(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसका कारबार का मुख्य स्थान आंध्रप्रदेश राज्य का श्रीकाकुलम जिला में है, तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करता है हेतु केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) के अधीन जुलाई से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी-4 में विवरणी की सीमा समय का विस्तार नवंबर, 2018 के 30वें दिन तक किया जाता है।

[फा. सं. 20/06/17/2018-जीएसटी (पीटी.1)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2018

No. 65/2018—Central Tax

G.S.R. 1149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-4 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter July to September, 2018 under sub-section (2) of section 39 of the said Act read with rule 62 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 by a registered person paying tax under the provisions of section 10 of the said Act whose principal place of business is in Srikakulam district in the State of Andhra Pradesh, till the 30th day of November, 2018.

[F. No. 20/06/17/2018-GST (Pt. I)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2018

सं. 66/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1150(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अक्तूबर, 2018 से दिसंबर, 2018 के महीनों के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी-7 में उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन विवरणी की समय-सीमा का विस्तार जनवरी, 2019 के 31वें दिन तक किया जाता है।

[फा. सं. 20/06/17/2018-जीएसटी (पीटी.1)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव